

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

नाही सं. 2,
टोक पनावली
सूचना 390
वादी को
नकल देना
सखी हेतु
/ पनावली
2-1-18 को

अधिकारी महोदय, क्षमण/अवकाश पर हैं। अतः
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-5-18 को पेश हो।

Queda

आज पनावली राजबलोक अदालत शीफात
न्याय आर्द्रे डार 2018 कैस जावुकी मे
प्रस्तुत हुई। वादी ने गलत नामा विकट तहसील नं. 1/5
नगर 2 अन्तर्गत धारा 88-89.91 R.T.A. इस
आदेश को प्रस्तुत किया है कि वि. नं. 303,
306, 701, 706, 707 क्रिया 5 रकबा 4.48 हेक्टर
03-08, 043, 003, 067 क्रिया 5 रकबा 4.48 हेक्टर
का 1/2 हि. वादी आफ जावुकी तहसील नगर वादी
ने पिना एवं तरहीवी उत्ति के पति/पिता के
कठोर कारण खानेघरी को आराजी थी. वादी
के पिना घेजी की वृत्तु से चुकी है जिसकी
किराहत दर्ज करते समय प्रन सिंह का नाम प्रनलाल
तथा वादी सं. 2 का नाम राजू के स्थान पर
भोल) राम दर्ज कर दिया क्योंकि धारदार के
प्या से राजू को भोला भी कहते हैं। वादी
का नाम शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों
के प्रन सिंह व राजू दर्ज है, इस प्रकार राजब-
विकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादीगण को
सर्व एक तलफी है किदी नग्रह वादीगण अपना
नाम सुकल कर पाते के अधिकारी हैं। कंस
में निवेदन किया है कि दस्तावेज वादीगण डि की
कामागं जावर वि. नं. में वादी सं. 1 प्रनलाल
के स्थान पर प्रनसिंह तथा वादी सं. 2 भोला
के स्थान पर राजू घोषित किया जाये।

हैं। अतः
त हो।
हैं। अतः
श हो।
की नकल को
नकल नके।
की जय।
दिना 12-4-18
5 सं 7 को
6 संके है
रलने वादीगण

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
अह
हुक
मं

नियमानुसार प्रक्रिया के द्वारा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड के शामिल किये गये हैं। वादीगण द्वारा उल्लेखित शैक्षिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अद्वैत नाम सही होना बतवाया है।

वादीगण द्वारा अपने दावा के लक्षण के नकल जमाबंदी सं. 2072-75, फोटो प्रति आधार-कार्ड राजस्व, राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र राजस्व 5/10 दौजी तथा प्रमाण-पत्र सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा-प्रमाण-पत्र इदरसिंह व. दौजीराव दस्तावेजों उल्लेख किये हैं।

हमने मजदूरी द्वारा के उभय पक्ष को सुना तथा दोनों के मध्य उपस्थित व्यक्तियों द्वारा जमाने के तथा परिवार के शीर्ष-निरीक्षण से मौका फर्मा किया गया जो दस्तावेजों में शामिल है। नकल जमाबंदी सं. 2072-75 के खता सं. 3 के वि. आ. क्र. सं. $\frac{303}{0.51}$, $\frac{306}{3.08}$, $\frac{701}{0.13}$, $\frac{706}{0.03}$, $\frac{707}{0.67}$ की बाबत "अंधरी देवी पाले दौजी, अर्ध, खैमी, इदर लाल, भोला राम, पिस-दौजी, ताया देवी, उमली देवी, फूलबाई पुत्रिमान दौजी 1/2 हीला, बलनाथ, गोता राम नवीरा अरण्य 3/4 हिं-हरवीरी पाले स्व. रामसिंह 3/4 हिं संतो, गंगा, जमाना पुत्रिमान रामसिंह वंश व. 3/4 हिं. नैम जखन स्व. देव लखरेवा" वर्ज हो गये हैं। नैम मजदूरी द्वारा के किया गया गये मौका फर्मा के अनुरोध इदरलाल का सही नाम इदरसिंह तथा भोला राम का सही नाम राजू होना उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बतवाया गया जिले की उचित फोटो प्रति सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र एवं आधार-कार्ड राशन कार्ड के होनी हैं। इस प्रकार वादीगण का नाम शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों के अनुरूप सही किया जाना तथा परिवार के

रदन सिंह नैथन ५५ तहसील ३२ नगर

दावा नं ३५/१७

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम कलमजन क्रिमा जाकर रदन सिंह
राज वि. दौजी घोरेतर क्रिमा जाका डी,
बाकी इन्दाजात यथावत रहेगे। इस्ते-
प्रकार फर्क डेकी जारी हो।

(राजवीर सिंह यादव)

निर्णय आज दिनांक १९.५.१८ को लिख
जाकर मजदरे इमाम के मुनामा गमा। फरवरी
फैसल भुगत होकर दाखिल दफतर हो।

मेगधाय
(मेगल राम)
अधिवक्ता
मैच सदस्य

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) गज०

ना डे नाम
डी। बादी
इन्दा इस्तावेज
के लफ्तन के
उति आधा
न राज ५१०
मूल फीसा
इस्तावेज
मय फडा को
मजदरे के
मे मे चागेले
गला से ३ से
११७ की बावत
०.६७
रदन लाल,
ली देवी,
ललाक. लोता राम
व. रामसेठ २/५
हं बाईक-३/५
न डी इस्तावे-
मे मेका फर्क
रदन सिंह तथा
उपाचैत
सकी उरि-
रा. फन लम
इस प्रकार -
इन्दा इस्तावेज
गमारे चैत डी
मे जाने -